सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 29, सोमवार, *शाके* 1947- मई 19, 2025 *Vaisakha 29, Monday, Saka 1947- May 19, 2025*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 18, 2024

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(ब.घों.)डीएलबी/24/3674 :-विभागीय अधिसूचना क्रंमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए, विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2428 दिनांक 17.07.2023 के द्वारा निर्धारित मानकों में शिथिलन देते हुए, राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत डिग्गी जिला टौंक क्षेत्र को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	टौंक	डिग्गी	ग्रांम पंचायत डिग्गी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र राजस्व ग्राम डिग्गी, भवानीपुरा, प्रतापपुरा, देशवालीयान को सम्मिलित करते हुए (जनंसख्या - 11,070) जनगणना 2011 के अनुसार

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2024-25 के अन्तर्गत ग्रांम पंचायत डिग्गी जिला टौंक के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र एवं राजस्व ग्रांम डिग्गी, भवानीपुरा, प्रतापपुरा, देशवालीयान को सम्मिaलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी। विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दिनांक 01.06.2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डिग्गी जिला टौंक के निर्वाचित संरपच/उपसंरपच एवं वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में क्रमशः अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य समझा जावेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुमार पाल गौतम,
निदेशक एवं विषिष्ठ सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।